

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नाण्डल जिला भीलवाडा राजस्थान

वईजलास श्री कृष्णपाल सिंह चौहान (आ० ५०५५०)

अनवान प्रकरण

1. श्री मती उगम कंठर व० श्री राम सिंह राजपूत निवासी - हाथीपुरा तहसील - मांडल
2. श्री दल सिंह व० श्री हरि सिंह राजपूत नि० हाथीपुरा त० मांडल 3. श्री लाल सिंह व० श्री हरि सिंह राजपूत निवासी - हाथीपुरा त० मांडल 4. श्री राजु सिंह व० श्री हरि सिंह राजपूत नि० हाथीपुरा त० मांडल 5. श्री जल्लर सिंह व० श्री हरि सिंह राजपूत नि० हाथीपुरा त० मांडल 6. श्री मती सुजकूर व० श्री हरि सिंह राजपूत नि० हाथीपुरा त० मांडल 7. श्री गोरधन सिंह व० श्री केदार सिंह राजपूत नि० हाथीपुरा त० मांडल - वादी ग०

पक्षीय

1. श्री मती अण्डी व० श्री लक्ष्मण कुम्हार निवासी - हाथीपुरा तहसील - मांडल
2. श्री मती धारी व० श्री हरि मील निवासी
3. श्री खोल्लाल व० श्री माना जाट निवासी
4. श्री मती प्रतापी व० श्री कामा सुर्जर निवासी
5. श्री मती उमामी व० श्री जगु सुर्जर निवासी
6. श्री मती श्री आधु व० श्री कस्तुर जाट निवासी
7. श्री सावरा व० श्री कस्तुर जाट निवासी
8. श्री जारायण लाल व० श्री अमरा सुर्जर निवासी

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 मुकदमा नं० / वर्ष 167/16 निर्णय दिनांक 14-6-19

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कंठर स्वयं अदालत व हिजरी वकील वादी निनजानिव मुददर व श्री राजेश तिवारी नमलाभिव नुदायला पक्ष होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्ली दी जाती है कि अतः वादीगण का वाद पत्र अपेश

07 नियम 11 ब्रिक्लि प्रक्रिया संहिता के तहत स्वारिज किया जाता है।

आज तारीख 14-6-19 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय को भोहर से जास की गई।

सहायक कलक्टर
नाण्डल जिला - भीलवाडा